**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न संख्या - 2401**

***सोमवार, 04 अगस्त, 2025/ 13 श्रावण, 1947 (शक)***

**विभिन्न निगमों/एसपीवी के ऋण का पुनर्गठन**

**2401. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्य सरकार के स्वामित्व वाले विभिन्न निगमों/एसपीवी के ऋण पुनर्गठन हेतु तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन ऋणों के पुनर्गठन हेतु संबंधित वित्तीय संस्थाओं को समुचित निर्देश जारी किए हैं या जारी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऋण भुगतान संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (ग): विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) द्वारा लिए गए ऋणों, जिनका भुगतान कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य समेकित निधि से किया जाता है, के पुनर्गठन के संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, तेलंगाना राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु स्थापित कालेश्वरम सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड (केआईपीसीएल), एक विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी), को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी लिमिटेड) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

ये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) घरेलू और विदेशी बाजारों में विभिन्न स्रोतों से धन जुटाती हैं। अपनी उधारी की लागत के आधार पर, वे उधार दरें निर्धारित करती हैं, जो उधारकर्ता की ग्रेडिंग पर भी निर्भर करती हैं। केआईपीसीएल के अनुरोध पर दिसंबर, 2024 तक आरईसी लिमिटेड को कार्य पूर्ण करने के लिए समय-सीमा पहले ही बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया था कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने/बंद होने पर ब्याज दर में छूट पर

विचार किया जा सकता है। हालांकि, ऋण परिशोधन अनुसूची में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पीएफसी/आरईसी लिमिटेड के खाते में केआईपीसीएल के खाता श्रेणीकरण (स्तरीय से उप-स्तरीय तक) में गिरावट आएगी।

(घ) तेलंगाना राज्य सरकार सहित सभी राज्यों ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू किया है, जो राज्य सरकार को राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप निरंतर विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुपालन की निगरानी राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। भारत सरकार करों और शुल्कों के अंतरण, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए सहायता अनुदान, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को समर्थन और पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करती है।